निगरानी / एलआर / 2673 / 2006 / सिरोही
तेजा बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06-4-26	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री चरणसिंह रावत, अधिवक्ता प्रार्थी। श्री शिवप्रकाश चौधरी, उप–राजकीय अधिवक्ता। **आदेश** 1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 सपठित धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के द्वारा अपील संख्या 01/06 में पारित निर्णय दिनांक 03–04–2006 के विरुद्ध माननीय मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 2– निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, पिण्डवाड़ा ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने की स्थिति में प्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी के बाबत् बेदखली, शास्ती एवं 3 माह के सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही के समक्ष प्रस्तुत करने पर सिविल कारावास की सजा में एक माह की कमी करते हुए शेष आदेश को यथावत रखने से व्यथित होकर प्रार्थी ने द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपील आंशिक स्वीकार करते हुए सिविल कारावास की सजा में एक माह की कमी करते हुए शेष आदेश को यथावत रखे जाने से व्यथित होकर हस्तगत निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। 3– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कहा कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम व कानून के विरुद्ध है। प्रार्थी के विरुद्ध आदेश पारित करने से पूर्व उसे समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। दौराने बहस उन्होनें अवगत कराया कि प्रार्थी ने	

निगरानी / एलआर / 2673 / 2006 / सिरोही

तेजा बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादग्रस्त आराजी पर से अपना कब्जा कतई हटा लिया है तथा उसके द्वारा भविष्य में कभी भी किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जावेगा। वर्तमान में प्रार्थी का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की शेष एक माह के सिविल कारावास की सजा को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। 4- विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कहा कि प्रार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने की स्थिति में उसे बेदखली, शास्ती एवं सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे। 5- विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। 6- पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रथम दृष्टया प्रार्थी द्वारा विवादित राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित होने से तहसीलदार पिण्डवाड़ा द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए बेदखली, शास्ती एवं 3 माह के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील जिला कलक्टर, सिरोही एवं राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अंशतः स्वीकार कर क्रमश एक-एक माह की सिविल कारावास सजा को कम किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-91 के अंतर्गत राजकीय भूमि पर अतिक्रमण का दोषी मानने में किसी प्रकार की तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित नहीं की है। जहां तक सिविल कारावास की सजा को निरस्त करने का प्रश्न है। प्रार्थी ने विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लेना अवगत कराया और भविष्य में सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करने का कथन किया गया है, इसलिये न्यायहित में यह निगरानी आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रार्थी को दी गई सिविल कारावास की सजा के आदेश को इस शर्त पर निरस्त किया जाता है कि प्रार्थी इस आदेश के पारित होने की दिनांक से एक माह की अवधि में संबंधित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तहसीलदार, पिण्डवाड़ा जिला, सिरोही के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर देवे कि उसके द्वारा वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा कतई हटा लिया गया है और यह अण्डर–टैकिंग भी प्रस्तुत कर दे कि उसके द्वारा भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर पुनः अतिक्रमण नहीं किया जावेगा तथा तहसीलदार, पिण्डवाड़ा उक्त शपथ पत्र में अंकित तथ्यों का मौके पर जाकर सत्यापन करे। यदि प्रार्थी ऐसा करने में कोई चूक करता है, तो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा के आदेश ययावत् रहेंगे। 7– उपरोक्तानुसार यह निगरानी अंशतः स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में प्रार्थी को दी गई सिविल कारावास की सजा को उपरोक्त शर्त की पालना के अधीन निरस्त किया जाता है तथा प्रार्थी पर लगाई गई शास्ति एवं बेदखली का आदेश यथावत् रखा जाता है। 8– पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख निर्णय प्रति सहित शीध्र लौटाया जावे। निर्णय खुल न्यायालय में सुनाया गया। **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	